जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर ने अपने पत्रांक 1316 दिनांक 20.11.2018 द्वारा श्री अभिषेक रंजन सिंह, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–बखरी, प्रखण्ड–बैकुण्ठपुर का संविदा रद्द करने की अनुशंसा करते हुए उनपर निम्नलिखित आरोप गठित किया गया है :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2016–17 अन्तर्गत कुल 19 लाभुकों में से मात्र 06 लाभुकों का गृह निर्माण कराया गया है, जो संतोषप्रद नहीं है।
2. प्रखण्ड मुख्यालय में आयोजित समीक्षात्मक बैठकों में हमेशा अनुपस्थित रहना।
3. प्रखण्ड कार्यालय में संधारित उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित।
4. श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग करनें पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं देना।
5. श्री सिंह के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण प्रखण्ड कार्यालय बैकुण्ठपुर के पत्रांक 1192 दिनांक 23.10.2018 द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज में योगदान देकर उप विकास आयुक्त, महोदय के निदेशानुसार कार्य करने का आदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। वे प्रखण्ड/पंचायत में भी अनुपस्थित रहते है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1092 दिनांक 25.08.2018, ज्ञापांक 1243 दिनांक 18.09.2018, ज्ञापांक 1396 दिनांक 09.10.2018, ज्ञापांक 1667 दिनांक 12.11.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के संबंध में श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई परन्तु उनसे स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार जिला स्तर पर दिनांक 20.08.2018 (ज्ञापांक 1058 दिनांक 23.08.2018), दिनांक 13.09.2018 (ज्ञापांक 1351 दिनांक 03.10.2018) एवं दिनांक 11.10.2018 (ज्ञापांक 1487 दिनांक 15.10.2018) को आयोजित बैठकों में भी श्री सिंह अनुपस्थित पाये गये एवं बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन भी उनके द्वारा नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि श्री सिंह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर से दिये गये निदेशों का निरंतर अवहेलना की गई है, जो उनके कर्तब्यहीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का द्योतक है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपों एवं अनुशंसा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज द्वारा की गई कारण पृच्छा का जवाब नहीं देने, जिला स्तर पर आयोजित बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, अपने वरीय पदाधिकारी के निदेश का अवहेलना करने तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ किये गये एकरारनामा की कंडिका–10 के प्रावधान **"The Employer only terminate this contracts without giving any notice in the event of 7 or more days of continuous unauthorized absence of the 2nd party."** का उल्लंघन करने के मामले में श्री अभिषेक रंजन सिंह, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–बखरी, प्रखण्ड–बैकुण्ठपुर का अनुबंध अनाधिकृत रुप (दिनांक 01.10.2018) से अनुपस्थित रहने की तिथि से रद्द करते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो रद्द आदेश के विरुद्ध अपील विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकते हैं।

ह०

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 2600 / अभि0 दिनांक 18.12.18 /

प्रतिलिपि :– श्री अभिषेक रंजन सिंह, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–बखरी, प्रखण्ड–बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा–मोबाईल, अभिलेख, संचिका पंजी आदि का प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोपालगंज को जिला के बेवसाईट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।